

न्यायालय उपायुक्त, खूँटी

नियम - 14 फार्म सं 562

आदेश पत्रक

अभिलेख हस्तक 1941 नियम -129

दा० खा० रि० वाद सं 01R15 वर्ष 2011 धारा
ACTR No- 30R15/2015

अपीलकर्ता/प्र०प०/आवेदक

मो० मुखली देवी

वनाम्

प्रतिवादी/द्वि०प०/विपक्षी

शुभाब राम जीम्

आदेश क्रमांक/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि सहित
1	2	3
17-06-11	<p>यह रि० वाद आर्वादन आर्वादि-मो० मुखली देवी जी०- खा० खोटे जी० मु साडिन- खडाईव लेवी, खूँटी घाना- खूँटी जिला खूँटी द्वारा न्यायालय मुक्ति सुधार उप सम्राहती, खूँटी के दारिद्र्य खारिष अपील वाद संख्या - 05/08-09 में दिनांक 13-04-2011 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है निलम्ब के लिए समझौते आर्वादन दारिद्र्य किया गया है।</p> <p>21/6/2011</p> <p>5 17/6/2011</p>	
21-06-11	<p>आर्वादेक अनुपस्थित है। वाद में आर्वादेक द्वारा उपस्थिति दी गयी है। दिनांक 21/6/2011</p> <p>21/6/2011</p>	

आदेश क्रमांक
दिनांक
Order No./Date


आदेश एवं अधिकारी का हस्ताक्षर
Order and Signature of Officer

आदेश की गयी
कार्रवाई की तिथि सहित
Action taken on order
with date

01-07-20

अभिलेख उपस्थापित। सरकार के सचिव राजस्व
निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग कार्यालय
सरकार राँची के पत्रांक-332/रा० दिनांक-
24-01-20 के द्वारा प्रतिवेदित है The Bihar
Tenant's Holding Maintenance of Records
Act 1973 की धारा 16 के अन्तर्गत Revision
की सुनवाई करने का अधिकार मात्र
Collector को है न कि Additional Collector
अथवा Deputy Collector को है।

अतः उक्त निष्पत्ति/धारा के आलोक
में अग्रोहर कारवाई/सुनवाई हेतु अभिलेख
उपायुक्त सूची के आभाव में हस्तांतरित
करे।



अपर सहायक
सूची।

अभिलेख उपस्थापित) अतिरिक्त अपर सहायक सूची के
आभाव में हस्तांतरित होकर प्राप्त है। अभिलेख पर
अग्रोहर कारवाई हेतु वाद पंजी के अतिरिक्त फाइल
को सूचना प्रेषित करें।
अतिरिक्त दिनांक अरुण